संख्या-10/2019/460/77-6-19-10(बजट)/16

प्रेषक,

डॉ0 अनिल कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 23 अक्टूबर, 2019

विषय- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत 12 इकाइयों को स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि रू0 60,96,357.00 (रू0 साठ लाख छियान्नवे हजार तीन सौ सत्तावन मात्र) की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय एवं उद्यम प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश, कानपुर के पत्र संख्या-807/औ0आ0अनु0-11/स्टैम्प शुल्क प्रतिपूर्ति/2019-20दिनांक 18-06-2019 एवं पत्र संख्या-887/औ0आ0अनु0-11/स्टैम्प शुल्क प्रतिपूर्ति/2019-20दिनांक 26-06-2019 द्वारा पात्र 12 इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने की संस्तुति की गयी है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	इकाई का नाम/पता	विलेख निबन्ध की तिथि	वाणिज्य उत्पादन की तिथि	शसनादेश सं0 848/77-6-13-15 (एम) 05 दिनांक 4-06-13 के अन्तर्गत निमित	निदेशालय स्तर से प्रतिपूर्ति योग्य पायी गयी धनराशि (रू में)
1	मे0 विजन पैरन्टरल प्रा0लि0, भूखण्ड सं0-ए-2/44,45 से0-15 गीडा गोरखपुर	21.03.2014	12.05.2016	$2374.03 \times 250\% = 5935.07$ वर्ग मी. जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल 4925 वर्ग मी0 से अधिक है। अतः भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल 4925 वर्ग मी0 पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।	4,12,400.00
2	मे0 आर0 के0 स्नैक्स प्रा0 लि0, भूखण्ड सं0-73 राजकीय औद्योगिक आस्थान रनियां कानपुर देहात	13.04.2015	15.03.2016	$429.991 \times 250\% = 1074.97$ वर्ग मी. जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल 808.23 वर्ग मी. से अधिक है। अतः भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल 808.23 वर्ग मी0 पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।	4,07,348.00
3	मे0 सुभाष मसाला इण्डस्ट्रीज, प्लाट/शेड सं0-के-23 औद्योगिक क्षेत्र पनकी, साइट-3 कानपुर नगर	27.09.2014	27.11.2014	$266.85 \times 250\% = 667.12$ वर्ग मी. जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल 738 वर्ग मी. से कम है। अतः गणना से प्राप्त क्षेत्रफल 667.12 वर्ग मी. पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।	4,72,588.00
4	मे0 तिरूपति सिस्टम फार्म्स एण्ड पैकेजिंग प्रा0लि0, 28 बी नेहरूबाग, मगरवारा, उन्नाव	01.08.2013	15.12.2014	$429.83 \times 250\% = 1072.50$ वर्ग मी. जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल 1053 वर्ग मी. से अधिक है। अतः भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल 1053 वर्ग मी. पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य	81,081.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				होगी।	
5	मे0 पोपो पैकेजिंग प्रा0लि0, बी-4 यू0पी0एस0आई0डी0सी0 औद्योगिक क्षेत्र, रामघाट रोड अलीगढ़	08.09.2014	13.07.2016	$1174.40 \times 250\% = 2936$ वर्ग मी0 जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल 3623.77 वर्ग मी. से कम है। अतः गणना से प्राप्त क्षेत्रफल 2936 वर्ग मी. पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।	12,33,120.00
6	मे0 अग्रवाल इण्डस्ट्रीज, भूखण्ड सं0-14 राजकीय औद्योगिक आस्थान रनियां, कानपुर देहात	09.03.2016	10.04.2017	$432.70 \times 250\% = 1081.75$ वर्ग मी. जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल 997.40 वर्ग मी. से अधिक है। अतः भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल 997.40 वर्ग मी. पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।	6,63,271.00
7	मे0 सिरोही एग्रो फूड्स प्रा0लि0, प्लाट न0-डी-93 जीएनईपीआईपी, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 औद्योगिक क्षेत्र ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्धनगर	05.11.2015	22.05.2017	$544.917 \times 250\% = 1362.29$ वर्ग मी. जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल 1209.55 वर्ग मी. से अधिक है। अतः भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल 1209.55 वर्ग मी. पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।	3,98,200.00
8	मे0 रोजी टेक्सटाइल्स, प्लाट न0-डी-31 औद्योगिक क्षेत्र रूमा(टेक्स जोन) कानपुर नगर	20.03.2013	20.05.2014	$456.\times 250\% = 1140$ वर्ग मी. जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग मी. से अधिक है। अतः भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल 1000 वर्ग मी. पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।	2,83,200.00
9	मे0 Falcon paper, प्लाट न0-बी-13 यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र साइट-2, रनियां, कानपुर देहात	20.12.2016	05.01.2017	$376.68 \times 250\% = 941.70$ वर्ग मी. जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल 800 वर्ग मी. से अधिक है। अतः भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल 800 वर्ग मी. पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।	5,60,000.00
10	मे0 गंगा पालीस्टर लि0, प्लाट न0-एच-36 साइट-सी, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 औद्योगिक क्षेत्र, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर	22.07.2014	20.11.2015	$456 \times 250\% = 1140$वर्ग मी. जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग मी. से अधिक है। अतः भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल 1000 वर्ग मी. पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।	2,81,250.00
11	मे0 बाबा आनन्देश्वर प्लास्टिक्स प्रा0लि0, प्लाट न0-एफ-47 एवं एफ-48 औद्योगिक क्षेत्र पनकी, साइट-2 कानपुर नगर	21.04.2015	05.10.2015	$616.12 \times 250\%1540.30$ वर्ग मी. जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल 1235 वर्ग मी. से अधिक है। अतः भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल 1235 वर्ग मी. पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।	10,03,200.00
12	मे0 तिरूपति वायर इण्डस्ट्रीज डी-111, सेक्टर-2 ताला नगरी औद्योगिक क्षेत्र, रामघाट रोड, अलीगढ़	20.06.2014	30.03.2016	$206.24 \times 250\% = 650.60$ वर्ग मी0 जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल 800 वर्ग मी. से कम है। अतः गणना से प्राप्त क्षेत्रफल 650.60 वर्ग मी. पर भुगतान किये गये स्टाम्प शुलक रू0 400932.00 का 75 प्रतिशत की दर रू0	3,00,699.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				300699.00 की प्रतिपूर्ति अनूमन्य होगी।	
				कुल योग रू.	**60,96,357.00**

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त कुल 12 इकाइयों के स्टैम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु समेकित रूप से धनराशि रू. 60,96,357.00 (रू. साठ लाख छियान्नवे हजार तीन सौ सत्तावन मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

2- किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त/बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।

4- स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22-03-2019 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा शासन के औद्योगिक विकास विभाग (अनुभाग-6)/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा रखा जायेगा।

7- संबंधित औद्योगिक इकाई को उक्त सुविधा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्राविधानों के अन्तर्गत दी जायेगी। अत: उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग के माध्यम से संबंधित इकाई को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

8- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा वांछित धनराशि प्राप्त होने पर संबंधित इकाई द्वारा भुगतान की गई स्टैम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि का भुगतान सीधे इकाई के द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से किया जायेगा।

9- छूट प्राप्त करने हेतु इकाई द्वारा प्रस्ताव प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित प्रमाणीकरण संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा। इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भूमि की आवश्यकता व परियोजना की प्रकृति के अनुसार मानक का परीक्षण करते हुए प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र संबंधित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र को प्रेषित किया जायेगा।

10- इकाई द्वारा प्रमाणीकरण संस्था के साथ एक अनुबन्ध किया जायेगा जिसमें निर्धारित शर्तों का उल्लेख एवं निर्धारित अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने अथवा अवस्थापना सुविधा से संबंधित इकाइयों की दशा में वर्णित प्रयोजन की पूर्ति करने का आश्वासन होगा और उसमें विलम्ब की स्थिति में स्टैम्प ड्यूटी में देय छूट के समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी को निबन्धन विभाग द्वारा भुनाकर धनराशि को निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा कराये जाने की बाध्यता का उल्लेख होगा।

11- निबंधन के पश्चात महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र निर्धारित अवधि में इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ न करने अथवा अवस्थापना सुविधाओं से संबंधित इकाइयों की दशा में निर्धारित अवधि में प्रयोजन की पूर्ति न होने की स्थिति में 30 दिन के अन्दर इसकी सूचना महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायेंगे तथा महानिरीक्षक निबन्धन बैंक गारण्टी को भुनाकर धनराशि को निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करायेंगे ताकि छूट का दुरूपयोग न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

12- इस संबंध मे होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग के अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय,60-अन्य, 800-अन्य व्यय, 19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के नामे डाला जाएगा।

13- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-6-685/दस-2019 दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्राप्त सहमति के तहत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

डॉ0 अनिल कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-10/2019/460/77-6-19-10(बजट)/16तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
(5) नियोजन अनुभाग-1/4
(6) स्टाम्प एवं निबंधन विभाग (अनुभाग-7)
(7) औद्योगिक विकास अनुभाग-2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।